प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 01.01.2026

नववर्ष पर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र का महत्वपूर्ण निर्णय

विभिन्न अपराधों में पूर्व में संलिप्त 20 अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट बंद करने का आदेश

नववर्ष 2026 के अवसर पर जनपद सोनभद्र में अपराध नियंत्रण के साथ-साथ सुधारात्मक एवं सकारात्मक पुलिसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत मामलों में नामित अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि, वर्तमान गतिविधियों एवं सामाजिक आचरण की विस्तृत समीक्षा कराई गई। समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि चयनित अभियुक्तों द्वारा विगत कई वर्षों से कोई आपराधिक गतिविधि नहीं की गई है, वे वर्तमान में कानून-व्यवस्था का पालन कर रहे हैं तथा समाज की मुख्यधारा में सामान्य एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा कुल 20 अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय पुलिस की जनहितैषी, सुधारात्मक एवं मानवीय दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है, जिससे ऐसे व्यक्तियों को समाज में पुनः सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सके।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में यदि संबंधित व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही पुनः की जाएगी।

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें।

हिस्ट्रीशीट बंद किए गए अभियुक्तों का विवरण (कुल – 20)-

रामदुलारे पुत्र भागवत कुर्मी, निवासी सरवट, थाना घोरावल, सोनभद्र (उम्र लगभग 70 वर्ष)

उमाशंकर पाठक पुत्र रामाज्ञा, निवासी मुड़िलाडीह, थाना घोरावल, सोनभद्र (उम्र लगभग 73 वर्ष)

लल्ला उर्फ लल्लन साहनी पुत्र निरहू साहनी, निवासी पसियाहीं, थाना कछवा, जनपद मीरजापुर, हाल पता–लोहाड़ी, थाना घोरावल, सोनभद्र (उम्र लगभग 65 वर्ष)

रमाकान्त चौबे पुत्र रामदुलारे चौबे, निवासी चरकोनवा, थाना पन्नूगंज, सोनभद्र (उम्र लगभग 70 वर्ष)

राजेन्द्र शुक्ला पुत्र यज्ञनाथ शुक्ला, निवासी राकी, थाना पन्नूगंज, सोनभद्र (उम्र लगभग 72 वर्ष)

रामनाथ गिरि पुत्र खेदारु गिरि, निवासी बकवार, थाना पन्नूगंज, सोनभद्र (उम्र लगभग 72 वर्ष)

राजजतन खरवार पुत्र सुब्बु खरवार, निवासी बांकी, थाना मांची, सोनभद्र (उम्र लगभग 74 वर्ष)

उग्रहनरायण पुत्र मटूकधारी, निवासी रामपुर, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र (उम्र लगभग 65 वर्ष)

रामकिशुन पुत्र घमड़ी, निवासी कोदई, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र (उम्र लगभग 65 वर्ष)

लल्लू चेरो पुत्र रामदेव, निवासी कोदई, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र (उम्र लगभग 65 वर्ष)

अनवर मस्तान पुत्र अब्दुल हक, निवासी डूमरडीहा, थाना दुद्धी, सोनभद्र (उम्र लगभग 68 वर्ष)

दलथम्मन गौड़ पुत्र जयमंगल गौड़, निवासी कटौली, थाना दुद्धी, सोनभद्र (उम्र लगभग 66 वर्ष)

मो0 अली पुत्र अली मुहम्मद, निवासी सुन्दरी, थाना दुद्धी, सोनभद्र (उम्र लगभग 68 वर्ष)

रामकिसुन उर्फ कामेश्वर अगरिया पुत्र लक्ष्मन प्रसाद, निवासी सड़कटोला, थाना बभनी, सोनभद्र (उम्र लगभग 75 वर्ष)

रामलाल पाण्डेय पुत्र रामचरन पाण्डेय, निवासी सेन्दूर, थाना बभनी, सोनभद्र (उम्र लगभग 80 वर्ष)

उमाकान्त पुत्र रामदयाल, निवासी महुली, थाना विण्ढमगंज, सोनभद्र (उम्र लगभग 71 वर्ष)

अजय रावत पुत्र स्व0 हरिवंश चौधरी, निवासी औड़ी, थाना अनपरा, सोनभद्र (उम्र लगभग 67 वर्ष)

पतिराज पुत्र श्यामा चौहान, निवासी बीना रोड परासी, थाना अनपरा, सोनभद्र (उम्र लगभग 65 वर्ष)

मोहन कुमार धनेजा पुत्र लोटूमल धनेजा, निवासी ज्वालामुखी कॉलोनी, थाना शक्तिनगर, सोनभद्र (उम्र लगभग 66 वर्ष)

अवेधश यादव पुत्र रामप्रयास यादव, निवासी बस स्टैंड शक्तिनगर, थाना शक्तिनगर, सोनभद्र (उम्र लगभग 73 वर्ष)

सोनभद्र पुलिस